समाहरणालय, मधेपुरा
(स्थापना शाखा)
-: आदेश :-

दिनांक 20-11-2013 को रात्रि करीब 08:40 बजे जिलाधिकारी, मधेपुरा के सरकारी मोबाईल नम्बर 9473191353 पर श्री अजय कुमार, राजस्व कर्मचारी, अंचल कार्यालय, पुरैनी द्वारा मोबाईल नम्बर 8231005045 से शराब के नशे में धुत्त होकर अभद्रतापूर्वक बात की गयी एवं श्री रविन्द्र कुमार यादव, राजस्व कर्मचारी, अंचल पुरैनी के स्थानान्तरण होने के उपरान्त पुरैनी अंचल में ही जमे रहने की बात की गयी। शराब के नशे में धुत्त होकर जिलाधिकारी से अभद्रतापूर्वक बात करना, सरकारी कर्मचारी के आचरण के प्रतिकूल है। श्री कुमार के संदर्भ में जिला गोपनीय शाखा को गुप्त सूचना मिलती रहती है कि ये प्रायः इस प्रकार की हरकतें अन्य पदाधिकारियों के साथ भी करते हैं।

अपर समाहर्त्ता, मधेपुरा ने अपने ज्ञापांक 64/गो0, दिनांक 08-10-2013 के द्वारा दिनांक 27-09-2013 को अंचल कार्यालय घैलाढ़ का किए गए निरीक्षण टिप्पणी में प्रतिवेदित किया है कि श्री अजय कुमार, राजस्व कर्मचारी द्वारा मो0 1,27,000/-(एक लाख सत्ताईस हजार) रूपये भू-लगान वसूली उपरान्त अंचल नजारत में जमा नहीं किया गया। अतः मो0 1,27,000/-(एक लाख सत्ताईस हजार) अग्रिम अंचल नजारत से प्राप्त कर भूलगान की राशि उन्होंने अंचल नजारत में जमा की। लेकिन अभी तक प्राप्त की गयी अग्रिम राशि उनके द्वारा अंचल कार्यालय, घैलाढ़ में जमा नहीं की गयी है, जबकि अंचल स्तर से उन्हें स्मारित भी किया गया है। पुनः ज्ञापांक-75/गो0, दिनांक 22-10-2013 के द्वारा दिनांक 07-10-2013 को अंचल कार्यालय मुरलीगंज का किए गए निरीक्षण टिप्पणी में अपर समाहर्त्ता, मधेपुरा ने प्रतिवेदित किया है कि श्री अजय कुमार, राजस्व कर्मचारी ने मो0 67,594/-(सरसठ हजार पाँच सौ चौरानवे)रूपये भूलगान वसूली उपरान्त अंचल नजारत, मुरलीगंज में जमा नहीं किया है। इससे स्पष्ट है कि भूलगान की राशि वसूल कर अंचल नजारत में जमा नहीं करना इनकी आदत सी बन गई है, जो स्वेच्छाचारिता, लापरवाही एवं उच्चाधिकारी के आदेश के उल्लंघन को दर्शाता है।

अतएव श्री अजय कुमार, राजस्व कर्मचारी, अंचल कार्यालय, पुरैनी को इस अशोभनीय कृत्य एवं स्वेच्छाचारी ढ़ंग से कार्यो के निष्पादन के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के भाग-IV की कंडिका-9(1) में निहित प्रावधान के आलोक में तत्कालिक प्रभाव से निलंबित किया जाता है तथा नियम-10 के तहत निलंबन अवधि में इन्हें सिर्फ जीवन निर्वाह भत्ता का भुगतान होगा। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय अनुमंडल कार्यालय, मधेपुरा निर्धारित किया जाता है, जहाँ वे प्रतिदिन अपनी उपस्थिति दर्ज करायेंगे।

श्री कुमार को आदेश दिया जाता है कि वे 24 घंटे के अन्दर श्री हेम झा, राजस्व कर्मचारी, अंचल कार्यालय, पुरैनी को अपना सम्पूर्ण प्रभार सौंप कर अनुमंडल कार्यालय, मधेपुरा में योगदान देना सुनिश्चित करेंगे।

अंचल अधिकारी, पुरैनी को निदेश दिया जाता है कि वे श्री कुमार के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालन हेतु आरोप पत्र प्रपत्र-क में गठित कर तीन प्रतियों में अनुमंडल पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज के माध्यम से एक सप्ताह के अन्दर भेजना सुनिश्चित करेंगे।

श्री कुमार के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालन हेतु संचालन पदाधिकारी के रूप में श्री अबरार अहमद कमर, अपर समाहर्त्ता, मधेपुरा एवं उपस्थापन पदाधिकारी के रूप में अंचल अधिकारी, पुरैनी को नियुक्त किया जाता है।

यह आदेश तत्कालिक प्रभाव से लागू होगा।

इसकी सूचना सभी संबंधितों को दी जाय।

ह0/-
जिलाधिकारी,
मधेपुरा।

ज्ञापांक 1156-2 /स्था0, मधेपुरा, दिनांक 21.11.2013

प्रतिलिपि : श्री अजय कुमार, राजस्व कर्मचारी, अंचल कार्यालय, पुरैनी/ श्री हेम झा, राजस्व कर्मचारी, अंचल कार्यालय, पुरैनी को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अपर समाहर्त्ता, मधेपुरा/ अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा/ उदाकिशुनगंज/ अंचल अधिकारी, पुरैनी/ कोषागार पदाधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

21/11/13

जिलाधिकारी,
मधेपुरा।